

(74)

जल जीवन मिशन-“हर घर नल से जल योजना” के अन्तर्गत दिनांक 24.12.2022 को जिलाधिकारी महोदय, गोण्डा की अध्यक्षता में जनपद-गोण्डा हेतु नामित एजेन्सी-मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु डी0डब्ल्यू0एस0एम0, गोण्डा को प्रस्तुत किये गये प्राक्कलन (डी0पी0आर0) परीक्षणहेतु जिला पेयजल एवंस्वच्छता मिशन गोण्डा के बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम-“हर घर नल से जल योजना” के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के माध्यम से जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने के लिए जनपद-गोण्डा हेतु नामित एजेन्सी-मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु डी0डब्ल्यू0एस0एम0, गोण्डा को प्रस्तुत किये गये 131 ग्राम पंचायतों के 108 नग प्राक्कलन जिसमें 214 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं को परीक्षण एवं अन्य बिन्दुओं पर विचार विमर्श हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन गोण्डा की बैठक दिनांक 24.12.2022 को कलेक्ट्रेट सभागार, गोण्डा में आयोजित की गई। जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्यों एवं नामित एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा।
2. प्रभागीय वन अधिकारी, गोण्डा।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा।
4. जिला विकास अधिकारी, गोण्डा।
5. जिला कृषि अधिकारी, गोण्डा।
6. जिला सूचना अधिकारी, गोण्डा।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा।
8. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा।
9. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-प्रथम, गोण्डा।
10. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, गोण्डा।
11. अध्यक्ष द्वारा नामित जल प्रबन्धन, सामुदायिक विकास, सामुदायिक स्वास्थ्य क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति।
12. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, गोण्डा।
13. परियोजना प्रबन्धक मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, गोण्डा।
14. जनपदीय टीम लीडर, मे सेन्सिस टेक लि. (टी.पी.आई.)।

1-फर्म एल0 एण्ड टी0 द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलनों के स्वीकृति हेतु :-

सदस्य सचिव द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति को अवगत कराया गया कि, जनपद हेतु सूचीबद्ध कार्यदायी फर्म मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई द्वारा 108 नग पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन, जिससे 131 ग्राम पंचायतें/214 राजस्व ग्राम पेयजल योजना से आच्छादित होंगे, के विस्तृत प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा के माध्यम से उपलब्ध कराये गये हैं। पेयजल योजना के प्राक्कलनों के स्वीकृति/संस्तुति हेतु शासनादेश संख्या 36/2021/1599/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 08.07.2021 के क्रम में फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो के द्वारा तैयार किये गये 108 नग प्राक्कलनों में 51 नग प्राक्कलन में, समस्त 51 नग प्राक्कलन की लागत 5 करोड़ से कम एवं प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000 से अधिक हैं तथा 57 नग प्राक्कलन की लागत में, 55 नग प्राक्कलन की लागत रू0 5 करोड़ से कम एवं प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000 से कम तथा 02 नग प्राक्कलनों की लागत रू0 5 करोड़ से अधिक एवं प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000 से कम है। समिति द्वारा रू0 6000 से अधिक प्रति व्यक्ति लागत के प्राक्कलनों को पुनः खण्ड विकास अधिकारियों के साथ स्थलीय सत्यापन कराते हुए वास्तविकता के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु सदस्य सचिव जिला

200

पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को निर्देशित किया गया है एवं रु0 6000 से कम प्रति व्यक्ति लागत के 57 नग प्राक्कलनों को स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को अग्रसारित कियेजाने हेतु बैठक में विचार विमर्श किया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा खण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराये गये 57 नग प्राक्कलनों का तकनीकी परीक्षण नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, उ.प्र. शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या 51/2021/1883/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया। तकनीकी परीक्षण में प्राक्कलन शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का अनुपालन में फर्मों से कराते हुए समस्त प्राप्त प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (गो0क्षे0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर द्वारा प्रदान की गयी।

सदस्य सचिव द्वारा निम्नानुसार विवरण उपलब्ध कराया गया :-

क्रम सं०	शासनादेश के अनुसार निर्देश	उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों की स्थिति
1	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के आंकलन के अनुसार योजनाओं की प्रति व्यक्ति कार्य लागत डिजाइन वर्ष के लिये जनपद का औसत रु. 6000.00 से कम होने की स्थिति सामान्यतः स्वीकार्य होनी चाहिए।	प्राप्त 57 नग प्राक्कलनों की प्रति व्यक्ति कार्य लागत डिजाइन वर्ष के लिये जनपद का औसत रूपये 6000.00 से कम है जिसकी स्वीकृति हेतु शासनादेश सं० 51/2021/1883/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 में दिये गये निर्देश के क्रम में स्थलीय निरीक्षण के अनुसार ग्राम पंचायत की कम जनसंख्या, अभिकल्पित 2052 की कम जनसंख्या, बिखरी हुई बसावट के फलस्वरूप वितरण प्रणाली की अधिक लम्बाई, स्वीकृत एस0ओ0आर0 मुख्यतः कारण है। (संलग्नक-1)
2	पम्पिंग प्लान्ट की डिजाइन में हेड अधिकतम 50 मीटर होना चाहिये। विशेष परिस्थितियों में हैंड 50 मीटर से अधिक होने पर इसका परीक्षण अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक द्वारा करते हुए प्रतिवेदन में अंकित किया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में हेड 50 मी० से कम है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
3	सोलर पी.वी. माड्यूल की क्षमता (किलोवाट), पम्प की क्षमता (हार्स पावर) से अधिकतम 1.4 गुना होनी चाहिए।	समस्त प्राक्कलनों में सोलर पम्प की क्षमता 1.4 गुना है अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
4	रोड कटिंग एवं पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत 25 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में इसका शत प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण करते हुए पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा एवं इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि इस कार्य की मात्रा कार्य स्थल के अनुरूप ली गई है।	समस्त प्राक्कलनों में रोड कटिंग एवं पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत 25 प्रतिशत तक है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
5	योजना की डिजाइन, जनसंख्या की गणना विभिन्न विधियों से की जायेगी, परन्तु आधार वर्ष से अधिकतम 80 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य होगी।	समस्त प्राक्कलनों में योजना की डिजाइन, जनसंख्या अधिकतम 60 प्रतिशत की वृद्धि ली गयी है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
6	प्रति घर व्यक्तियों की संख्या आधार वर्ष की जनसंख्या के अनुसार 4 से 8 के बीच होनी चाहिए।	समस्त प्राक्कलनों में प्रति घर व्यक्तियों की संख्या आधार वर्ष की जनसंख्या के अनुसार 4 से 8 के बीच है अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
7	वितरण प्रणाली में सैण्ड बेडिंग नहीं देय होगी।	समस्त प्राक्कलनों में वितरण प्रणाली में सैण्ड

		ड्रेडिंग का प्राविधान नहीं किया गया है। अतः निर्देश के अनुरूप है।
8	जलकल परिसर में मिट्टी भराई अनुमन्त्र नहीं होगी। जलकल परिसर के लिये उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने एवं मिट्टी भराव अपरिहार्य होने की स्थिति में विस्तृत सर्वे कर मात्रा की गणना की जाये एवं जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा स्पष्ट संस्तुति करते हुए डी.पी.आर. प्रस्तुत किया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में जलकल परिसर में मिट्टी भराई का प्राविधान नहीं किया गया है अतः निर्देश के अनुरूप है।
9	कार्य स्थल तक सम्पर्क मार्ग हेतु बी.ओ.ई. का डी. पी.आर. में प्राविधान किया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में कार्य स्थल तक सम्पर्क मार्ग हेतु बी.ओ.ई. का डी.पी.आर. में प्राविधान आवश्यकता के अनुरूप किया गया है। अतः निर्देश के अनुरूप है।
10	स्पेयर पम्पस् हेतु प्राविधान अनुमन्त्र नहीं होगा।	समस्त प्राक्कलनों में स्पेयर पम्पस् हेतु प्राविधान नहीं किया गया है। अतः निर्देश के अनुरूप है।
11	योजनाओं का विरचन यथासम्भव ग्राम पंचायत को इकाई मानते हुए किया जाये। विशेष परिस्थितियां जैसे-भूमि की उपलब्धता न होना एवं उपयुक्त गुणवत्ता एवं मात्रा में भूजल का उपलब्ध न होना अथवा प्रति व्यक्ति लागत अधिक आने की स्थिति में बहुल पंचायत योजना का भी विरचन किया जा सकता है। यथासंभव ग्रामों का चयन क्लस्टर में किया जाए ताकि कार्य की प्रति व्यक्ति लागत न्यूनतम रह सके।	समस्त प्राक्कलनों में योजनाओं का विरचन ग्राम पंचायत को इकाई मानते हुए किया है उक्त के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति लागत अधिक आने की दशा में 17 बहुल ग्राम पंचायत योजनाओं के प्राक्कलन तैयार किये गये हैं। अतः निर्देश के अनुरूप है।
12	योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-16/2021/978/छिहत्तर-1-2021-25 स म/2019 दिनांक 19.03.2021 तथा शासनादेश संख्या-36/2021/1599/छिहत्तर-1-2021-25 स म/2019 दिनांक 08.07.2021 के द्वारा रु 5.00 करोड की लागत तक की योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का अधिकार जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रदान किये जाने के फलस्वरूप इस सीमा तक योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति उत्तर प्रदेश जल निगम के सक्षम स्तर द्वारा प्रदान की जायेगी।	समस्त प्राक्कलनों में शासनादेश के अनुसार तैयार कर स्वीकृति की कार्यवाही की गयी है। अतः निर्देश के अनुरूप है।
13	परियोजना की कार्य लागत में जी.एस.टी., कन्टीजेन्सी एवं विद्युत संयोजन (विद्युत आधारित योजनाओं में) की लागत को शामिल किया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में कार्य लागत में जी.एस. टी., कन्टीजेन्सी एवं विद्युत संयोजन (विद्युत आधारित योजनाओं में) की लागत को शामिल है। अतः निर्देश के अनुरूप है।
14	जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजनाओं के राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजनाओं के राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संलग्न प्रारूप पर है अतः निर्देश के अनुरूप है।

उपरोक्त के अतिरिक्त योजना के संचालन एवं रखरखाव में समय-समय पर आवश्यक डी0जी0 सेट का फर्म द्वारा योजना के कार्य लागत में प्राविधान किया गया है जिसे योजना की कार्य

[Signatures and initials of officials, including one labeled 'DDO']

लागत में सम्मिलित करने हेतु उपरोक्त शासनादेश अथवा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के किसी पत्र में उल्लेख नहीं है। सदस्य सचिव द्वारा पत्र सं० 4327/यो०-50/783 दिनांक 21.10.2022 के माध्यम से अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से मार्गदर्शन मांगा गया था। जो वर्तमान तक अप्राप्त है। अतः डी०जी० सेट की लागत को योजना के कार्य लागत में सम्मिलित कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है। भविष्य में उक्त हेतु शासन/राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आयोजित बैठक में 57 नग पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलनों पर स्वीकृति/संस्तुति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समस्त सदस्यों से विचार विमर्श किया गया। समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में समस्त 57 नग प्राक्कलनों की जनपद स्तर/राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, स्तर से योजनाओं की स्वीकृति/संस्तुति हेतु सहमति इस आशय के साथ प्रदान की गयी कि फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों की ग्राम पंचायत स्तर से भी इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि, सम्मिलित ग्राम पंचायतों के समस्त मजरे प्राक्कलन में सम्मिलित हैं एवं प्राक्कलन ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया है। चूंकि योजनाओं के प्राक्कलन फर्म द्वारा तैयार किये जा रहे हैं अतः कार्य के समय प्राक्कलन में विचलन हेतु फर्म पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्राक्कलनों को अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा के माध्यम से प्राक्कलनों की प्रति शासन को प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये।

2-फर्म एल० एण्ड टी० द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो के 404 ग्राम पंचायतों के गठित अनुबन्धों के 15 माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी फर्म द्वारा वर्तमान तक कुल 265 ग्राम पंचायतों में पेयजल योजनाओं के कार्य प्रारम्भ कराये गये हैं। कार्य प्रारम्भित योजनाओं पर फर्म द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति/स्थिति संतोषजनक नहीं है। शासन स्तर द्वारा माह दिसम्बर 2022 तक निर्धारित एफ०एच०टी०सी० के लक्ष्य 112000 के सापेक्ष निर्धारितसाप्ताहिक लक्ष्य 8500 एफ०एच०टी०सी० के सापेक्ष विगत सप्ताह में मात्र 2418 गृह जल संयोजन की प्रगति प्राप्ति फर्म द्वारा की गयी। शासन द्वारा जनपद के निर्धारित एफ०एच०टी०सी० के लक्ष्य प्राप्ति की प्रगति भी फर्म द्वारा नहीं की जा रही है। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा परियोजना निदेशक मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो से कार्य की प्रगति को बढ़ाने हेतु फर्म द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही से सम्बन्धित प्रश्न किया गया। जिस पर फर्म के परियोजना निदेशक द्वारा पूर्व की भांति कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया एवं शासन द्वारा स्वीकृत 416 नग प्राक्कलन के सापेक्ष फर्म द्वारा 404 पेयजल योजनाओं के त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठित कराये गये हैं। अनुबन्ध गठित 404 नग योजनाओं का निर्माण समयान्तर्गत पूर्ण कराने हेतु कार्यालय द्वारा आकलित फर्म को आवश्यक/उपलब्ध मशीनरी एवं मैनपावर का विवरण निम्नवत है :-

क्र.सं.	मशीनरी/मैनपावर	आवश्यक	उपलब्ध
1	रिग मशीन	60 नग	12 नग
2	कम्प्रेसर	35 नग	07 नग
3	ओ०पी०यूनिट	20 नग	06 नग
4	प्रीकास्ट शिरोपरि जलाशय हेतु क्रेन	20 नग	04 नग
5	मैनपावर (संख्या में)	5000	1432

उपरोक्त आवश्यक एवं उपलब्ध मशीनरी/मैनपावर की अनुपलब्धता के कारण वर्तमान तक फर्म द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति अत्यन्त कम है प्रगति का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लक्ष्य	वर्तमान तक कराये गये कार्य
1	बाउण्ड्रीवाल	404 नग	117 नग
2	नलकूप	404 नग	155 नग पूर्ण, 09 नग प्रगति पर
3	पम्पिंग प्लाण्ट	404 नग	52 नग पूर्ण

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'D.D.O.' and other illegible marks.

4	सोलर पैनल	404 नग	16 नग पूर्ण एवं 05 नग प्रगति पर
5	पम्प हाउस	404 नग	32 नग पूर्ण एवं 29 नग कार्य प्रगति पर
6	शिरोपरि जलाशय	404 नग	03 नग पूर्ण एवं 54 नग कार्य प्रगति पर
7	वितरण प्रणाली	5905 किमी0	1742 किमी0 पूर्ण (207 ग्राम पंचायतों में)
8	गृह जल संयोजन	350891 नग	36451 नग

उपरोक्त के अतिरिक्त बैठक के उपरान्त जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा ग्राम पंचायत इमिलिया मिश्र पेयजल योजना पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में शिरोपरि जलाशय, वितरण प्रणाली, नलकूप, पम्प हाउस, बाउण्ड्रीवाल, सोलर के कार्य पूर्ण एवं जलकल परिसर के आन्तरिक कार्य यथा- अप्रोच मार्ग, ड्रेन, लेवलिंग इत्यादि कार्य अपूर्ण थे। नलकूप में आटोमेशन पैनलिंग का कार्य प्रगति पर था। योजना में लक्षित समस्त 303 गृह जल संयोजन के सापेक्ष फर्म द्वारा मात्र 242 गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण किया गया है शेष कार्य प्रगति पर है। इस प्रकार फर्म द्वारा कोई भी योजना पूर्णतयः पूर्ण नहीं की गयी। धीमी गति से कार्य कराये जाने एवं आवश्यक मशीनरी/मैनपावर की अनुपलब्धता के फलस्वरूप जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी परन्तु वर्तमान तक फर्म द्वारा योजनाओं के निर्माण एवं मशीनरी/मैनपावर की उपलब्धता में अपेक्षित प्रगति नहीं लायी गयी है जिसके क्रम में जिलाधिकारी/अध्यक्ष द्वारा फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो चेन्नई की उपरोक्त कार्य प्रणाली एवं महत्वाकांक्षी योजना में अपेक्षित प्रयास न करने के सम्बन्ध में, शासन को अवगत कराने के साथ-साथ फर्म के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पत्र निर्गत करने हेतु सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो।

3-भूमि आवंटन की स्थिति :-

सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अवगत कराया गया कि, जनपद में कार्य कर रही फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो को निर्धारित कुल लक्ष्य 846 ग्राम पंचायतों के पेयजल योजनाओं के जलकल परिसर की भूमि आवंटन की कार्यवाही के क्रम में वर्तमान तक 804 ग्राम पंचायतों में भूमि आवंटित कर दी गयी हैं। शेष 42 ग्राम पंचायतों में भूमि आवंटन हेतु एवं फेज़-5 अन्तर्गत जनपद के अवशेष 298 ग्रामों/186 ग्राम पंचायतों में योजना निर्माण हेतु सूचीबद्ध फर्म M/s KLSR-RAYS(JV)को उपलब्ध करायी जाने वाली जलकल परिसर की भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्य राजस्व अधिकारी को शीघ्र ही भूमि उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही- मुख्य राजस्व अधिकारी/समस्त उप जिलाधिकारी।

5-जनपद की अवशेष ग्राम पंचायतों में पेयजल योजना के निर्माण हेतु सूचीबद्ध फर्म M/s KLSR-RAYS(JV) के कार्य प्रगति :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, जल जीवन मिशन फेज़-5 के अन्तर्गत में जनपद के अवशेष 298 ग्रामों/186 ग्राम पंचायतों में योजना निर्माण हेतु शासन द्वारा फर्म M/s KLSR-RAYS(JV) को सूचीबद्ध किया गया है। जिसकी सूची फर्म, मुख्य राजस्व अधिकारी समस्त उप जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी गयी है। जिसके क्रम 67 ग्राम पंचायतों में भूमि प्रस्ताव प्राप्ति की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है जिस पर फर्म द्वारा सर्वेक्षण प्राक्कलन विवरण की कार्यवाही की जा रही है।

बैठक के अन्त में जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं यथा- आई0एस0ए0, टी0पी0आई0, डी0पी0एम0यू0 को उनके द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को शासन/प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निष्पादित कराने के

(Handwritten signatures and initials)











निर्देश दिये एवं जनपद का सूचीबद्ध फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो को अवशेष ग्राम पंचायतों के प्राक्कलन शासन द्वारा निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुए यथा शीघ्र तैयार कर तकनीकी परीक्षण हेतु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराने एवं निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।



(मुकीम अहमद)

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव

जिला विकास अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
प्रभागीय वन अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
बेसिक शिक्षा अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई गोण्डा।	सदस्य	
अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल गोण्डा।	सदस्य	
जिला कृषि अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
अध्यक्ष द्वारा नामित इन क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति- जल प्रबन्धन, सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास।	सदस्य	
मुख्य विकास अधिकारी गोण्डा।	उपाध्यक्ष	
जिलाधिकारी गोण्डा।	अध्यक्ष	

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोण्डा।

पत्रांक : 5127 / यो०-50 / 1175 दिनांक-31-12-2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, देवीपाटन मण्डल, उ.प्र. जल निगम, गोण्डा।
5. मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई



अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव